

कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग,

Email. I.D. panjiyak8ppp@gmail.com राजस्थान, बीकानेर

Phone No. : 0151-2226570

क्रमांक: शिविरा / प्रारं / पंविप / प्राशिअमू / दिशा निर्देश / 2019

दिनांक: 18.12.2019

निदेशक,  
आर.एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर

तकनीकी निदेशक,  
NIC, शिक्षा संकुल, जयपुर

प्रधानाचार्य,  
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण  
संस्थान (डाईट), समस्त  
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,  
समस्त

संयुक्त निदेशक,  
स्कूल शिक्षा, समस्त सम्भाग


मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,  
समस्त

विषय: प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (परीक्षा कक्षा 5), 2020 हेतु दिशा-निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 'प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2020' के सफल आयोजन एवं सुव्यवस्थित संचालन वास्ते संलग्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।

उक्त मूल्यांकन (परीक्षा) का आयोजन इन्हीं दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित पंचांग के अनुसार सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न: दिशा-निर्देश (पृष्ठ संख्या 1 से 10)

  
(हिमांशु गुप्ता) 18/1  
I.A.S.

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं  
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 18.12.2019

क्रमांक: शिविरा / प्रारं / पंविप / प्राशिअमू / दिशा निर्देश / 2019

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, उदयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को इस आशय के साथ कि वे जारी दिशा निर्देशों का सक्षम स्तर से अनुमोदन करावें।
9. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
10. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), मा.शि./प्रा.शि., समस्त।
11. अनुभाग अधिकारी, शैक्षिक/बजट/शाला दर्पण पोर्टल/पी.एस.पी पोर्टल/एस.आई.क्यू.ई, कार्यालय हाजा।

  
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं  
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग  
राजस्थान, बीकानेर

## प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2020 हेतु दिशा-निर्देश

- नाम (Nomenclature): 'प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, 2020'
- मूल्यांकन के प्रतिभागी (Participants): राज्य के समस्त प्रकार के राजकीय विद्यालयों (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम), मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों/संस्थाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम), मदरसों एवं अन्य समकक्ष विद्यालयों में कक्षा 5 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) पैटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर)।  
उक्तानुसार वर्णित समस्त प्रकार के विद्यालयों में अध्ययनरत दृष्टिबाधित एवं मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन में भाग लेना वैकल्पिक होगा।
- पृष्ठभूमि: –

प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का आयोजन प्रथम बार सत्र: 2016–17 में हुआ। कक्षा 5 के विद्यार्थियों हेतु आयोज्य इस मूल्यांकन के निम्नांकित उद्देश्य हैं:–

- मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर अध्यापकों की जवाबदेही तय करना।
- कमजोर अधिगम स्तर वाले विद्यार्थियों की पहचान कर उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उनके अधिगम स्तर में सुधार करना।
- शिक्षण के कमजोर पहलुओं की पहचान कर तदनुसार ही सुधार हेतु शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मॉड्यूल डिजाइन कर लागू करना।

यह मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा/एस.ए.-3 (सी.सी.ई विद्यालय) के स्थान पर आयोजित किया जावेगा। जिला स्तर पर इस मूल्यांकन का आयोजन, संचालन, परिवीक्षण एवं प्रबोधन सम्बन्धित डाइट्स के द्वारा किया जावेगा। प्रश्न-पत्र निर्माण, मॉडरेशन एवं मुद्रण राज्य स्तर पर किया जावेगा। मूल्यांकन के सुव्यवस्थित नियोजन, आयोजन एवं संचालन के लिए जिला स्तर पर समितियों के गठन का प्रावधान रखा गया है। उक्त समितियां ब्लॉक एवं जिला स्तर पर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगी।

गत वर्ष तक आयोजित होते रहे उक्त मूल्यांकन के लिए पूर्व में विभिन्न अभिकरणों को सौंपे गये परीक्षा से सम्बन्धित कार्यों एवं प्रक्रिया के स्थान पर वर्ष: 2020 से आयोज्य मूल्यांकन हेतु नये सिरे से विभिन्न विभागों/संगठनों/कार्यालयों को सौंपेजाने वाले दायित्व/कार्यों वास्ते निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:–

### **● निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर का क्षेत्राधिकार:–**

1. परीक्षा आयोजन हेतु पर्यवेक्षण, निरीक्षण, नियन्त्रण तथा प्रबोधन के क्षेत्र में नेतृत्व करना।
2. कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर में 'प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5)' के लिए पूर्व में गठित प्रकोष्ठ के अतिरिक्त परीक्षा के ऑनलाईन प्रबोधन एवं संचालन में सहयोग हेतु पृथक से प्रकोष्ठ की स्थापना कर भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराना ताकि परीक्षा संचालन, नियन्त्रण एवं प्रबोधन को प्रभावी बनाया जा सके।
3. परीक्षा के सफल आयोजन हेतु आवश्यक आदेश, निर्देश एवं परिपत्र इत्यादि जारी करना।
4. यथा आवश्यकता पारम्परिक मदों हेतु कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त प्रस्तावानुसार बजट प्रावधान कराना एवं राशि आवण्टन करना।

१  
अक्षय

5. परीक्षा को लेकर बजटरी प्रावधानों की सम्भावित विसंगतियों को दूर करना तथा लेखा अधिकारियों द्वारा यथा आवश्यकता पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर का सहयोग करना।
6. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर के प्रस्ताव पर भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपयोग, परीक्षा के लिये क्षेत्र से शिक्षकों/कार्मिकों की तैनाती इत्यादि के लिए निर्णय लेना अथवा अनुमोदन करना।

- **निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकारी:-**

प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, 2020 के लिए अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकारी होंगे। मूल्यांकन (परीक्षा) के संचालन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, प्रबोधन एवं प्रबन्धन के किसी भी स्तर का अवलोकन एवं समीक्षा कर सम्बन्धित को निर्देश जारी करने, आवश्यक पत्राचार करने एवं समुचित नियन्त्रण करने के लिए वे अधिकृत होंगे।

- **कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर की भूमिका:-**

1. प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन के आयोजन, संचालन, नियन्त्रण एवं प्रबोधन में एक समन्वयक अभिकरण के रूप में निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, RSCERT, NIC, शिक्षा संकुल जयपुर, डाइट्स एवं अन्य जिला कार्यालयों के मध्य पारस्परिक समन्वयन करना।
2. यथा सम्भव अभिनव तकनीक के ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों के आवेदन करवाने, संग्रहण केन्द्रों का निर्धारण करवाने, मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण करवाने, परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करवाने, परीक्षा नामांक जारी करवाने, वीक्षकों/परीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं का निर्धारण/आवण्टन करवाने, सत्रांक प्रविष्ट करवाने, मूल्यांकन करवाने, शाला दर्पण पर परीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं के स्टाफ विष्टो लॉगिन द्वारा प्राप्तांक प्रविष्ट करवाने, परीक्षा परिणाम तैयार करवाने, परीक्षा परिणाम की घोषणा करवाने, टी.आर. तैयार करवाने, ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र जारी करवाने में सक्रिय भूमिका निभाते हुए सम्बन्धित अभिकरणों/कार्यालयों में निरन्तर पारस्परिक समन्वयन स्थापित कर परीक्षा व्यवस्थाओं का नियन्त्रण एवं प्रबोधन करना।
3. सम्बन्धित आदेश-निर्देश विभाग की अधिकृत वैबसाइट ([education.rajasthan.gov.in](http://education.rajasthan.gov.in)) एवं शाला दर्पण पोर्टलपर अपलोड करवाना। इस हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों को निर्देश जारी करना।
4. परीक्षा संचालन हेतु पंचांग का निर्माण एवं परीक्षा कार्यक्रम तैयार कर उक्तानुसार कार्यवाही का संचालन करना।
5. परीक्षा आयोजन के लिये यथावश्यकता समिति निर्माण, नियन्त्रण-कक्ष स्थापना एवं अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी करने सहित अन्य सामान्य प्रशासनिक निर्णय लेना।
6. राज्य स्तर पर नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर सूचना संकलन करना एवं तदनुसार प्रशासनिक नियन्त्रण एवं प्रबोधन करना।
7. परीक्षा/मूल्यांकन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर उसका तुरन्त नियमानुसार निराकरण करना अथवा आवश्यक होने पर निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकारी, अति. निदेशक (प्रशासन), प्रा.शि. को अवगत कराते हुए उसका निस्तारण करवाना।

3  
18/12/19

● राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (RSCERT), उदयपुर की जिम्मेदारियाँ:-

1. परीक्षा हेतु प्रश्न-पत्र निर्माण के लिए ब्लू प्रिन्ट तैयार करना, प्रश्न पत्र निर्माणकर्ताओं एवं विषय विशेषज्ञों के पैनल्स तैयार करना तथा समस्त प्रकार के अकादमिक कार्यों में पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर को सहयोग प्रदान करना।
2. प्रश्न पत्र निर्माण, मॉडरेशन, मुद्रण एवं वितरण सम्बन्धी समस्त कार्य सम्पादित करना।
3. बैठकों, कार्यशालाओं, वी.सी. एवं पी.पी.टी. तैयार करने इत्यादि के लिए पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर को यथा आवश्यकता सहयोग प्रदान करना।
4. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर की मांग पर परीक्षा सम्बन्धी चाहे गये समस्त कार्यों को अंजाम देना।

● राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के उत्तरदायित्वः-

1. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) पैटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर डाइस डेटा के आधार पर राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त और राजकीय विद्यालयों/संस्थाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) में कक्षा 5 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की समस्त सूचना को शाला दर्पण पोर्टल/पी.एस.पी. पोर्टल पर शत प्रतिशत प्रविष्टि करवाना एवं प्रतिदिन लाइव अपडेशन करवाना।
2. कक्षा 5 में सी.सी.ई. संचालित सभी विद्यालयों को शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित करवाना। निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर एवं RSCERT, उदयपुर के लॉगिन पर उक्त विद्यालयों की सूची उपलब्ध करवाना।
3. कक्षा 5 में सी.सी.ई. संचालित राजकीय विद्यालयों के लिए उक्त मूल्यांकन में समुचित प्रावधान कराने हेतु स्पष्ट निर्देश यथा आवश्यकता RSCERT, उदयपुर, एवं निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्धित अधिकारियों एवं यथा आवश्यकता अन्य सम्बन्धित अभिकरणों के साथ मिलकर तैयार करना।
4. SA-1 एवं SA-2 के अंकों को समेकित करने के तैयार Formula की कक्षा 5 में सी.सी.ई. संचालित सभी राजकीय विद्यालयों एवं प्रशिक्षणों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
5. विद्यालयों/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), प्रा.शि./मा.शि. /डाइट्स/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं परीक्षा से सम्बन्धित अन्य अभिकरणों/संगठनों हेतु प्रसारित किये जाने वाले आदेश, निर्देश एवं परिपत्र इत्यादि अधिकृत वैब पोर्टल ([education.rajasthan.gov.in](http://education.rajasthan.gov.in)) एवं शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड कराना।

● NIC, शिक्षा संकुल, जयपुर के दायित्वः-

1. मूल्यांकन से सम्बन्धित समस्त अभिकरणों/संगठनों को यथा आवश्यकता तकनीकी सपोर्ट करना, परीक्षा (मूल्यांकन) की समस्त ऑनलाइन प्रक्रियाओं के लिये विनिर्दिष्ट कार्यों को शाला दर्पण/पी.एस.पी. पोर्टल पर नियन्त्रित एवं क्रियान्वित करना।
2. RSCERT, उदयपुर एवं पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर द्वारा विनिर्दिष्ट समस्त प्रकार के ऑनलाइन कार्यों हेतु सहयोग प्रदान करना।
3. निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक, प्रा.शि. व पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं द्वारा समय समय पर की जाने वाली मांग के मुताबिक समुचित सहयोग करना।

३  
१३।१२।१९

- ऑन लाइन आवेदन कराने, नामांक जारी करने, प्रवेश पत्र जारी करने, सत्रांक फीडिंग कराने, मूल्यांकन उपरान्त प्राप्तांकों की ऑन लाइन फीडिंग कराने, परिणाम जारी कर ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र जारी कराने तथा टी.आर. तैयार कराने से सम्बन्धित समस्त कार्यों को क्रियान्वित एवं नियन्त्रित करना।
- मूल्यांकन से सम्बन्धित समस्त प्रकार के ऑन लाइन प्रपत्र तैयार कर जारी करना।

- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट्स) की जिम्मेदारियां:-**

- प्रधानाचार्य, डाईट बतौर जिला नोडल अधिकारी परीक्षा के आयोजन, संचालन, नियंत्रण, निरीक्षण, प्रबोधन, मूल्यांकन एवं प्रबन्धन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत, पाबन्द एवं जवाबदेह होंगे। प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रभारी अधिकारी, गठित समिति सदस्य एवं प्रधानाचार्य द्वारा पाबन्द और अधिकृत समस्त फैकल्टी सदस्य, गैर शैक्षणिक अधिकारी एवं अन्य कार्मिक भी उनको सौंपे गये अपने कार्यों के लिए व्यक्तिशः एवं समस्त कार्यों के लिए सामूहिक रूप से पूर्णतया जवाबदेह होंगे।
- निदेशालय, प्रा. शि., बीकानेर, RSCERT, उदयपुर एवं कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के निर्देशानुसार परीक्षा (मूल्यांकन) से सम्बन्धित समस्त कार्यों में सक्रिय भूमिका अदा करना।
- प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं एवं अन्य आवश्यक परीक्षा सम्बन्धी सामग्री का संग्रहण, संकलन एवं वितरण कराना।
- परीक्षा के दौरान यथा आवश्यकता (अधिकतम चार) उड़न दस्तों का गठन कर परीक्षा का समुचित निरीक्षण, परिवेक्षण, पर्यवेक्षण एवं आकस्मिक मुआयना कर परीक्षा की शुचिता, पवित्रता, गोपनीयता, विश्वसनीयता एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करना।
- परीक्षा उपरान्त मूल्यांकन हेतु परीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं का निर्धारण/मैपिंग करना एवं त्वरित मूल्यांकन सुनिश्चित करना। इन समस्त कार्यों में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करना।
- जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन कर समिति की बैठकों का आयोजन निर्धारित तिथियों में करना। प्रथम बैठक दिनांक 20.12.2019 से 24.12.2019 तक एवं द्वितीय बैठक दिनांक 01.01.2020 से 10.02.2020 के मध्य आयोजित कराना।
- जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति के अनुमोदन से संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण/मैपिंग करना।
- तैयार पैनल के अनुसार परीक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कराना।
- परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य निर्विघ्न सम्पन्न करवाने एवं समुचित प्रबोधन हेतु डाइट स्तर पर नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना।
- परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त ग्रेडिंगयुक्त प्रमाण—पत्र संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से विद्यालयों को वितरित कराना।
- परीक्षा परिणाम जारी होने के दिनांक से एक माह की अवधि में पुनर्गणना से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यवाही ऑनलाइन सम्पादित करना।
- पुनर्गणना में ग्रेड परिवर्तन की स्थिति में, मूल प्रति खो जाने अथवा नष्ट हो जाने तथा त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में परीक्षार्थी के लिखित आग्रह पर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ग्रेडिंग युक्त प्रमाण—पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना।
- समय—समय पर कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, बीकानेर द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।

१३।१२।२०१९

14. मूल्यांकन व्यवस्था एवं परीक्षा आयोजन हेतु मूल्यांकन/संग्रहण वितरण केन्द्रों तथा परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षकों हेतु यथावश्यकता दिशा-निर्देश जारी करना एवं मार्गदर्शन करना।

• **मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारियाँ:-**

1. बतौर ब्लॉक नोडल अधिकारी परीक्षा संचालन, निरीक्षण, नियन्त्रण, प्रबोधन एवं प्रबन्धन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत, पाबन्द एवं जवाबदेह होना।
2. मूल्यांकन (परीक्षा) के राज्य स्तरीय अभिकरणों एवं जिला नोडल अधिकारी (प्रधानाचार्य, डाईट) के निर्देशानुसार परीक्षा की समस्त प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका अदा करना।
3. ब्लॉक स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन एवं बैठक आयोजित करना।
4. संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण कर सूचना डाईट को प्रेषित करना।
5. संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों तथा परीक्षा केन्द्रों पर मांग के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध करवाना। (केवल परीक्षा कार्य हेतु)
6. प्राप्त प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं एवं अन्य परीक्षा सम्बन्धी सामग्री को संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों को वितरित करवाना।
7. मूल्यांकन कार्य के दौरान निर्देशानुसार सैंपल चैकिंग कार्य सम्पादित करना। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक केन्द्र से प्रत्येक विषय की पाँच-पाँच उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का मौके पर ही आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए मूल्यांकन कार्य का सत्यापन करना। प्रत्येक मूल्यांकन केन्द्र पर एक-एक विषय विशेषज्ञ राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करके सैंपल चैकिंग करवाना।
8. पी.ई.ई.ओ., जो कि अपने ग्राम पंचायत परिक्षेत्र के समस्त परीक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण प्रभारी होगा, के माध्यम से समस्त परीक्षा केन्द्रों का सतत पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना।
9. परीक्षा केन्द्रों से समस्त सूचनाओं के आदान-प्रदान का उत्तरदायित्व का निर्वहन पी.ई.ई.ओ. के माध्यम से करना।
10. अपने परिक्षेत्र में परीक्षा केन्द्रों की प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं को पुलिस थाने से लाने एवं सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों को वितरित करने की समस्त प्रक्रिया सम्बन्धित पी.ई.ई.ओ. के माध्यम से सुनिश्चित करना।

• **शिक्षा विभाग के सम्भाग एवं जिला अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ:-**

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा अपने सम्भाग के समस्त जिलों में परीक्षा व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे, अपने यहाँ नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर परीक्षा सम्बन्धी सूचनाएँ निरन्तर राज्य नियन्त्रण कक्ष को उपलब्ध करवायेंगे।
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बतौर जिला पर्यवेक्षक अपने स्तर पर परीक्षा का पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं प्रबोधन करेंगे। जिला नोडल अधिकारी (प्रधानाचार्य, डाईट) की मांग पर परीक्षा हेतु समुचित सहयोग के लिए आदेश-निर्देश जारी करेंगे।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा जिला नोडल अधिकारी से तालमेल स्थापित कर परीक्षा व्यवस्थाओं में समुचित सहयोग करेंगे। प्रधानाचार्य, डाईट की मांग पर वीक्षण, परिवीक्षण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी समस्त महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यथा आवश्यकता आदेश जारी करेंगे।

१३।।२०१९

- मूल्यांकन (परीक्षा) के लिए समितियों का गठन:-

'प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन' के सफल संचालन एवं नियन्त्रण हेतु एक समिति का निम्नानुसार गठन किया जायेगा।

### जिला स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति

क्र.सं.	पदनाम	समिति में दायित्व
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	प्रधानाचार्य, डाईट	सदस्य सचिव
3.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा	सदस्य
5.	समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
6.	प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. (मनोनीत-1)	सदस्य
7.	प्रभारी अधिकारी, कक्षा 5 परीक्षा, डाईट	सदस्य
8.	सहायक लेखाधिकारी / लेखाकार (मनोनीत)	सदस्य

इस समिति की बैठक सत्र में दो बार आवश्यक रूप से आयोजित की जावे। आवश्यकतानुसार अधिक बैठकें भी की जा सकती हैं।

परीक्षा आयोजन की समस्त व्यवस्थाओं के लिए डाईट द्वारा 'जिला स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति' द्वारा अनुमोदन करवा लिया जावे।

- मूल्यांकन (परीक्षा कक्षा 5) के सफल संचालन हेतु ब्लॉक स्तर पर भी 'ब्लॉक स्तरीय संचालन समिति' का गठन किया जावे।

इस समिति की बैठक सत्र में दो बार डाईट स्तर पर बैठक होने के तत्काल पश्चात् की जानी है। (बैठकों की संख्या को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।) इस हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कार्यों के विस्तृत दिशा-निर्देश बिन्दु संख्या 30 में उल्लेखित किये गये हैं।

### ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति

क्र.सं.	पदनाम	समिति में दायित्व
1.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रथम)	सदस्य सचिव
3.	ब्लॉक मुख्यालय के सबसे बड़े राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक	सदस्य
4.	संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्र के संरक्षण	सदस्य
5.	ब्लॉक क्षेत्र के प्रधानाध्यापक, रा.उ.प्रा.वि.(जि.शि.आ., मु.प्रा.शि. द्वारा मनोनीत-2).	सदस्य
6.	लेखाकार-1	सदस्य

- प्रवेश योग्यताएँ एवं क्षेत्राधिकारः- किसी भी राजकीय विद्यालय, राजकीय संस्कृत विद्यालय, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, मदरसा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य विद्यालयों में कक्षा 5 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी ही इस मूल्यांकन में भाग लेंगे। संरक्षण का यह दायित्व होगा कि वह अपने विद्यालय की कक्षा 5 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का इस मूल्यांकन हेतु ऑन लाइन आवेदन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

- उपस्थिति की गणना:-

1. कक्षा 5 में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रवेश लेने की तिथि से 'प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन' के लिए परीक्षा तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है।

  
13/12/2019

2. प्रस्तुत युक्तियुक्त कारणों से सन्तुष्ट होने पर, विद्यार्थियों की रुग्णता अथवा अन्य ठोस कारणों के आधार पर संस्थाप्रधान द्वारा 'प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन' के लिए न्यूनतम उपस्थिति में 15 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकेगी।
  3. मूल्यांकन हेतु तैयारी अवकाश परीक्षा पूर्व दो दिवस (रविवार/राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) रखा जावेगा।
  4. ऐसे विद्यार्थी, जो लगातार 45 शिक्षण दिवस तक विद्यालय से अनुपस्थित रहते एवं अन्य कारणों से आवश्यक उपस्थिति स्तर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, को ड्रॉप आउट मानते हुए उसी कक्षा में पुनः प्रवेश दिया जाकर निश्चित अवधि के उपचारात्मक शिक्षण के पश्चात फॉलोअप परीक्षा में बैठाया जा सकेगा।
  5. उपस्थिति के न्यूनतम स्तर से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को इस वर्ष परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करवाकर न्यूनतम उपस्थिति स्तर करनी है और फिर परीक्षा में बैठाना है।
- परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण:-  
परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण इस तरह से किया जावे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के सबसे बड़े राजकीय विद्यालय में केन्द्र निर्धारित हो उसकी दूरी सम्बन्धित विद्यालय से 4 कि.मी. से अधिक ना हो। यदि किन्हीं परिस्थितियों में केन्द्र परिवर्तन किया जाना अपरिहार्य हो तो जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की अनुशंशा उपरान्त जिला नोडल अधिकारी के माध्यम से पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदन प्राप्त किया जावे।
  - संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्र:-
    1. प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन हेतु जो राजकीय विद्यालय संग्रहण केन्द्र होगा, उसी को मूल्यांकन केन्द्र भी माना जावेगा।
    2. संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण विद्यार्थियों की संख्या एवं केन्द्र पर उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए किया जावे। यहाँ यह ध्यान रहे कि किसी भी केन्द्र पर परीक्षार्थियों की संख्या 1000 से कम ना हो।
  - आवेदन एवं मूल्यांकन (परीक्षा) व्यवस्था शुल्क:-
  - मूल्यांकन व्यवस्था शुल्क:- नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानानुसार राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जावेगा किन्तु मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों से प्रति परीक्षार्थी 40/- रुपये की दर से राशि ली जावेगी। उक्त राशि विद्यार्थियों से नहीं ली जावेगी बल्कि मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय इसे वहन करेंगे। उक्त राशि सम्बन्धित विद्यालय द्वारा अध्यक्ष, डाईट विकास एवं प्रबन्धन समिति को जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रेषित की जावेगी।
  - मूल्यांकन व्यवस्था:-
    1. मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु मूल्यांकन केन्द्र पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मूल्यांकन केन्द्र से अधिकतम 15 कि.मी. की परिधि से ही शिक्षकों को वीक्षण एवं मूल्यांकन कार्य हेतु लगाया जा सकेगा।
    2. अधिकतम 24 विद्यार्थियों पर एक वीक्षक की नियुक्ति की जावेगी।
    3. यथासम्भव उन राजकीय विद्यालयों को ही परीक्षा केन्द्र बनाया जावे, जहाँ पहले से ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केन्द्र निर्धारित हैं।
  - मूल्यांकन पत्रकों की जाँच व्यवस्था:-
    1. मूल्यांकन कार्य हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा के निर्देशन में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने के परिक्षेत्र के अनुभवी अध्यापकों का पैनल तैयार कर आदेश जारी करेंगे।

2. ब्लॉक कार्यालय द्वारा निर्धारित संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों पर केन्द्राधीक्षक की देखरेख में अधिगम स्तर मूल्यांकन पत्रकों (प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं) का मूल्यांकन कार्य करवाया जायेगा एवं मूल्यांकन कर्ता 80 अंकों में से प्राप्तांक अपने स्टॉफ लॉगिन एवं पासवर्ड से सीधे पोर्टल पर अपलोड करेगा।
3. उक्त परीक्षा हेतु मूल्यांकन व्यवस्था 5 पॉइंट स्केल के आधार पर निम्नानुसार होगी—

A+	A	B	C	D
91-100	76-90	61-75	41-60	0-40

- 20 अंक सत्रांक के लिए एवं 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित हैं।
- सत्रांक के 20 अंकों का विभाजन इस प्रकार रहेगा—
  1. उपस्थिति के लिए — 5 अंक
  2. एस.ए.-1, एस.ए.-2, अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण तथा अभिवृत्ति आधारित गतिविधियों के लिए — 15 अंक (प्रपत्र 2 अ में दी गयी तालिका के अनुसार)
- किसी विद्यार्थी को उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जायेगा। प्रत्येक विषय में 5 पॉइंट स्केल के आधार पर ग्रेड प्रदान की जायेगी। सभी विषयों में प्राप्त ग्रेडिंग के आधार पर ऑवर ऑल ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र दिया जायेगा। इसमें सी.जी.पी.ए. का प्रावधान नहीं होगा।
- आर.टी.ई. एकट के प्रावधानानुसार विद्यालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए उपस्थिति के अंकों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है।

86 से 100 तक — 5 अंक

76 से 85 तक — 4 अंक

71 से 75 तक — 3 अंक

60 से 70 तक — 2 अंक (केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हे संस्थाप्रधान द्वारा उपस्थिति में 15 प्रतिशत तक की छूट देकर मूल्यांकन में सम्मिलित किया गया हो।)

### सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 अ

विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु (विषय.....)

आकलन क्षेत्र	शिक्षण अधिगम एवं कक्षीय प्रक्रिया					प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि	व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियां		विषय.....			
अधिगम क्षेत्र	शिखित आकलन(SA-1, SA-2.)	पोर्ट फोलियो स्थिति	टैक्स	लिस्ट अकलन	अकलन एवं मानिक गतिविधियां	नियमितता एवं समर्पणता	वर्तमान एवं सुलेख स्थिति	व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियां	स्थिति करना एवं नटक	संविधान		
अंक	10	10	10	20	10	10	10	10	100	15	5	20
नाम छात्र/छात्रा												

3/18/12/19

इस प्रपत्र की पूर्ति कर विद्यालय में सुरक्षित रखा जाए एवं इसकी सहायता से सत्रांक की ऑनलाइन फीडिंग की जाये।

विद्यालय स्तर पर सत्रांक निर्धारण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं:-

- **शिक्षण अधिगम एवं कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया:**-विद्यालय स्तरीय लिखित आकलन (एस.ए.-1, एस.ए.-2) पोर्टफोलियो स्थिति, चैकलिस्ट अंकन, अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियों के अंक तथा टिप्पणियों के आधार पर।
- **प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि:**-विद्यालय स्तरीय नियमितता व समयबद्धता, वर्तनी, उच्चारण एवं लिखावट सुधार के आधार पर।
- **व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियाँ:**-व्यक्तिगत गुण व अभिवृत्तियाँ, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता, संगीत, कला एवं नाटक आदि विद्यालय स्तरीय गतिविधियों के आधार पर।
- **परीक्षा परिणाम में सी एवं डी ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के सम्बन्ध में:-**

प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन में सी एवं डी ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कार्यवाही करने एवं सम्बन्धित शिक्षकों को प्रशिक्षण इत्यादि देने के विषय में समय समय पर विभाग द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों की पालना की जावेगी।
- **प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन के लिए परीक्षा कार्यक्रम (Examination Time Table) :-**

निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा जारी किया जायेगा।
- **अन्य निर्देश :-**
  1. इस मूल्यांकन (परीक्षा) व्यवस्था में पुनर्मूल्यांकन एवं कृपांक का प्रावधान नहीं है।
  2. केवल नियमित विद्यार्थी ही इस मूल्यांकन (परीक्षा) में बैठ सकेंगे। स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
  3. मूल्यांकन (परीक्षा) के परिणाम की घोषणा उपरान्त पुर्नगणना का प्रावधान रहेगा, जिसे डाईट द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा।
  4. डाईट, जि.शि.अ. (मु.) प्रा.शि./मा.शि., मु. ब्लॉक शि.अ., पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ एवं आर.एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर के कार्यालयों में परीक्षा एवं प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान कन्ट्रोल रूम स्थापित किये जायेंगे। सम्भाग स्तर पर संयुक्त निदेशक कार्यालयों में भी नियन्त्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे।
- **विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CWSN) को दी जाने वाली सुविधाएँ:-**
  1. श्रवणबाधित, दृष्टि बाधित, मानसिक पक्षाधात ग्रस्त, सेरेब्रल पैल्सी, मानसिक विमन्दता (एम.आर.) एवं ऑटिज्म से पीड़ित विद्यार्थियों को निर्धारित समयावधि से 30 मिनट तक का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा।
  2. दृष्टिहीन (Blind), हाथ से निःशक्त व लिखने में असमर्थ अथवा लिखने वाले हाथ की हड्डी टूट जाने पर विद्यार्थी को भी 30 मिनट तक का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा। इन विद्यार्थियों को श्रुतलेखक (Writer) भी उपलब्ध करवाया जा सकेगा। ऐसा श्रुतलेखक परीक्षार्थी की कक्षा से कम से कम एक स्तर नीचे की कक्षा का होना चाहिए। श्रुतलेखक की अनुज्ञा/अनुमति केन्द्राधीक्षक द्वारा जारी की जावेगी। ऐसे विद्यार्थियों के लिए पृथक से बैठक व्यवस्था की जायेगी।

१४/१२१८

## प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, 2020 हेतु तिथिक्रम निर्धारण

क्र.सं.	मूल्यांकन (परीक्षा) सम्बन्धी कार्य	कार्य सम्पादन की तिथि/अवधि
1.	परीक्षा संचालन समिति की प्रथम बैठक का आयोजन	20.12.2019 से 24.12.2019 के मध्य
2.	विद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	20.12.2019
3.	डाईट द्वारा संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों तथा परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण	26.12.2019 तक
4.	ब्लॉक स्तर पर परीक्षा केन्द्रों से संग्रहण व मूल्यांकन केन्द्रों की मैपिंग	28.12.2019 तक
5.	आवेदन पत्रों की संग्रहण केन्द्र द्वारा ऑनलाइन जांच की अन्तिम तिथि	30.12.2019 तक
6.	आवेदन पत्रों की डाईट्स द्वारा ऑनलाइन जांच की अन्तिम तिथि	01.01.2020 तक
7.	परीक्षा संचालन समिति की द्वितीय बैठक का आयोजन	01.01.2020 से 10.2.2020 के मध्य
8.	प्रश्न पत्र निर्माण, मॉडरेशन एवं प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं तथा अन्य आवश्यक सामग्री का मुद्रण	31.01.2020 तक
9.	डाईट द्वारा परीक्षकों के पैनल को अंतिम रूप देकर मुख्य जि.शि.अ. को अनुमोदन हेतु प्रेषित करना	31.01.2020 तक
10.	डाईट्स द्वारा प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं एवं परीक्षा से सम्बन्धित अन्य सामग्री संग्रहण केन्द्रों तक भेजवाना	प्राप्त होने की तिथि से अगले दो दिवस में
11.	विद्यालयों द्वारा सत्रांक ऑनलाइन करना।	निर्धारित अन्तिम तिथि के अनुसार
12.	डाईट द्वारा सत्रांक की हार्ड कॉपी संकलित करना।	परीक्षा समाप्ति के 20 दिवस में
13.	प्रश्न—पत्र पुस्तिकाओं का वितरण	परीक्षा आरम्भ तिथि से 5 दिवस पूर्व
14.	प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का आयोजन।	जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार
15.	प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं को मूल्यांकन हेतु संग्रहण केन्द्र पर पहुँचाना।	सम्बन्धित विषय की परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद
16.	डाईट द्वारा मूल्यांकन कार्य सम्पन्न करवाना।	सम्बन्धित विषय की परीक्षा समाप्ति के 7 दिवस में
17.	परीक्षा परिणाम की घोषणा।	निर्धारित तिथि के अनुसार
18.	डाईट द्वारा ग्रेडिंगयुक्त प्रमाण पत्रों का संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से विद्यालयों को वितरण।	परिणाम घोषणा के 10 दिवस के भीतर
19.	संस्थाप्रधान द्वारा विद्यार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण करना।	प्रमाण—पत्र प्राप्ति के 2 दिवस में
20.	पुनर्गणना प्रक्रिया सम्पन्न करना।	जारी दिशा निर्देशों के अनुसार
21.	डाईट स्तर पर 'प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन' की समीक्षा बैठक का आयोजन करना।	जिला नोडल अधिकारी एवं प्रधानाचार्य, डाईट द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार

● संशोधन एवं शिथिलन:-

उपर्युक्तानुसार जारी दिशा निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से की जावेगी। परीक्षा कार्य तिथिक्रम, परीक्षा कार्यक्रम (टाईम टेब्ल) एवं जारी दिशा निर्देशों के किसी भी बिन्दु के सम्बन्ध में यथावश्यकता आंशिक परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन एवं शिथिलन के लिए बतौर निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकारी अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर अधिकृत होंगे तथा ऐसे निर्णय परीक्षा के लिए जारी दिशा निर्देशों के हिस्से माने जायेंगे।

G  
18/12/19

अति. निदेशक (प्रशासन)